

जल संरक्षण में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी परियोजना की भूमिका

यशपाल सिंह नरवरिया

जलीय जीव प्रयोगशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर म.प्र.

सारांश

प्राकृतिक जल संसाधन क स्रोत दिन-प्रतिदिन नष्ट होते चले जा रहे हैं। आज मनुष्य के सामने जल संकट एक विकराल समस्या के रूप में प्रकट हुआ है। हमारे देश में शुद्ध पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। हमारा देश नदियों का देश होने के बाद भी हमारे देश के कई भागों में आज शुद्ध पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। यह समस्या सरकार के साथ-साथ सम्पूर्ण मानव जाति के लिए एक चुनौती साबित हो रही है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण, मृदा अपरदन, तेजी से हो रहे वन विनाश ने जल संकट को बढ़ावा दिया है।

वर्तमान अध्ययन शिवपुरी जिले के खनियाधाना एवं कोलारस जनपद में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत जिले में योजना प्रारम्भ वर्ष 2006 से वर्ष 2010 जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों की संख्या 974 है। जिसमें तालाब, चेक डम, नाला बंधान, स्ट्रैच, सिंचाई कूप एवं पेयजल कूप (कपिल धारा) आदि सम्मिलित हैं। कइसर्यो से जहाँ एक ओर जल संरक्षण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं इस जल संरक्षण से 5281 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर खेत तालाबों की संख्या 2422 है। इसमें 1934 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। वहीं महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के द्वारा पेयजल की विकराल समस्या से काफी हद तक निजात मिली है। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा भी इस दिशा में कई महत्वपूर्ण परियोजनायें चलाई जा रही हैं जो जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं जिससे काफी हद तक कई क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। वही कृषि के क्षेत्र में भी इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अगर हम मनरेगा योजना के इस प्रयास पर पर्यावरण को केन्द्र करके देखें तो यह प्रतीत होता है कि गाँव के लोगों को रोजगार के साथ-साथ ताल पोखरों के सुन्दरीकरण कइस संरक्षण की दिशा में एक सार्थक प्रयास है।

मुख्य शब्द जल संसाधन प्रबंधन, जल संरक्षण एवं संवर्धन, शिवपुरी

प्रस्तावना

जल सृष्टि के पाँच तत्वों में से एक है। जीवन के लिए अनिवार्य तीन पदार्थों में प्राण एवं वायु के बाद पानी का दूसरा सीान है। प्रचुर मात्रा में जल का होना हमारी पृथ्वी की विशेषता है यही कारण है कि पृथ्वी पर जीवन सम्भव है। हमारी पृथ्वी का लगभग 70 प्रतिशत भाग जल मग्न है जबकि पेयजल के रूप में केवल इस पूरे जल का केवल 1 प्रतिशत भाग ही उपयोग कर पाते हैं बाकी 97 प्रतिशत जल महासागरों एवं सागरों में खारे जल के रूप में और 2 प्रतिशत जल बर्फ के रूप में पाया जाता है। प्रकृति में जल के प्रमुख स्रोत के रूप वर्षा जल ही है। पृथ्वी पर उपस्थित जल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पृष्ठीय जल स्रोत एवं भौमिक जल स्रोत सामान्यतः पृष्ठीय जल का उपयोग किया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है। देश के 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उन तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक समस्या शुद्ध पेयजल की है। हमारे देश में 16 प्रतिशत आबादी को पीने योग्य शुद्ध पेयजल नहीं मिलता है। इससे देश की जनता का स्वास्थ्य ही नहीं समूची आर्थिक उत्पादकता पर भी बुरा असर पड़ता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़ और देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ गर्मियों के समय में शुद्ध पेयजल के लिए मीलों दूर से व्यवस्था करनी होती है वहीं देश के कई राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में पेयजल में आरसेनिक एवं फ्लोराइड की मात्रा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गरीबी में कमी, पर्यावरणीय संरक्षण और निरन्तर आर्थिक विकास के लिए जल प्रबंधन महत्वपूर्ण है।

उद्देश्य

1. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अर्न्तगत किये गये जल संरक्षण के कार्यों का आर्थिक विश्लेषण।
2. जल संरक्षण में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी परियोजना की प्रबन्ध की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाना।
3. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अर्न्तगत किये गये कार्यों से भूमि संरक्षण का प्रभावी आंकलन करना।
4. ग्रामीण विकास में जल संसाधनों की भूमिका का विश्लेषण।

क्रियाविधि



वर्तमान अध्ययन शिवपुरी जिले के खनियाघाना एवं कोलारस जनपद में किया गया है। शिवपुरी जिला $26^{\circ} 05' 24''$ $40''$ पूर्वी देशान्तर तथा $77^{\circ} 01' 78'' 29''$ उ० अक्षांश पर स्थित है। जिले में कुल आबादी 14,41,950 (2001 की जनगना के अनुसार) तथा जिले को भौगोलिक दृष्टि से 7 तहसील एवं 8 ब्लाक एवं 1326 गाँवों में बाँटा गया है। वर्तमान अध्ययन दिसम्बर 2010 से जून 2011 तक किया गया था वर्तमान अध्ययन को पूर्ण करने के लिए अध्ययन के लिए एक प्रश्नोत्तरी तैयार की गई। तैयार प्रश्नोत्तरी के आधार पर वर्तमान अध्ययन करने के लिए खनियाघाना एवं कोलारस जनपद की 16 ग्राम पंचायतों को चुना गया। चुनी गई ग्राम पंचायतों का अध्ययन प्रश्नोत्तरी द्वारा कार्य स्थल पर जा कर किया गया।

परिणाम एवं परिचर्चा

शिवपुरी जिले में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना प्रारम्भ वर्ष 2006 से वर्ष 2010 जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों की संख्या 974 है। जिसमें तालाब, चेक डेम, सिंचाई कूप, आदि सम्मिलित हैं। कइसयों से जहाँ एक ओर जल संरक्षण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। वही इस जल संरक्षण से 5281 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर खेत तालाबों की संख्या 2422 है। इसमें 1934 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। जिले में मनरेगा के तहत जल संरक्षण की दिशा में अनेक कार्य सम्पन्न हुये हैं जिनमें से खनियाघाना जनपद के 11 ग्राम पंचायतों के 11 गाँवों में मनरेगा के तहत जल संरक्षण की दिशा में निर्मित 13 तालाब, 24 चेकडेम, 19 सिंचाई कूप (सिंचाई के लिए कुएँ), 27 पेयजल कूप एवं 4950 स्ट्रैच (जल संरक्षण के लिए गड्डे) बनाये गये। (सारणी-1) वहीं कोलारस जनपद में 05 ग्राम पंचायतों के 05 गाँवों में 05 तालाब, 06 चेकडेम, 20 सिंचाई कूप (सिंचाई के लिए कुएँ), 04 पेयजल कूप एवं 1000 स्ट्रैच (जल संरक्षण के लिए गड्डे) एवं 19 खेत तालाबों का निमार्ण किया गया। (सारणी-2)

मृदा जल स्तर में वृद्धि करने में मनरेगा योजना मूल रूप से आधारभूत ढाँचा निरंतर तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में कारगर साबित हो रहा है जिससे काफी हद तक पेयजल समस्या का समाधान हुआ है।


मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में पेयजल की एक विकराल समस्या थी। शिवपुरी जिले के 200 से अधिक ग्राम पंचायतों में अप्रैल, मई जून महीने में पेयजल समस्या एक विकराल रूप धारण कर लेती है। इसी के साथ जिले में वर्षा औसत से कम होने के कारण जिले में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी न मिलने के कारण जिले के कई हिस्सों में फसलों से पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन न होने के कारण जिले में भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती थी जिससे जिले की 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी पलायन कर जाती थी लेकिन आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कारण जिले में काफी हद तक पेयजल एवं सिंचाई की समस्या हल हुई है। वहीं वर्षा जल पर निर्भर खेती द्वारा कपिल धारा कूपों के प्रयास खेतों में सिंचाई की जा रही है। वहीं कुओं कइस स्तर में भी वृद्धि हुई है।



मनरेगा के तहत निर्मित कुंए



मनरेगा के तहत निर्मित चेक डम



मनरेगा के तहत निर्मित चेक डम का दृश्य

उपसंहार

बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दिन-प्रतिदिन हास होता चला जा रहा है। जल संसाधन मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। जल की कमी के कारण आज विश्व का प्रत्येक देश चिंतित है। इस दिशा में प्रत्येक देश के द्वारा अपने-अपने स्तर पर जल संरक्षण के प्रयास किये जा रहे हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा भी इस दिशा में कई महत्वपूर्ण परियोजनायें चलाई जा रही हैं जो जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं जिससे काफी हद तक कई क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। वही कृषि के क्षेत्र में भी इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अगर हम मनरेगा योजना के इस प्रयास पर पर्यावरण को केन्द्र करके देखें तो यह प्रतीत हाता है कि गाँव के लोगों को रोजगार के साथ-साथ ताल पोखरों के सुन्दरीकरण कइस संरक्षण की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। भूमिगत जल दोहन को रोकने, वर्षा जल को तालाबों पोखरों एवं बाँध बनाकर भूमिगत जल हास को रोका जा रहा है। मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में सरकार के साथ - साथ आमजन भी सरकार के साथ जल संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

संदर्भ

1. राकेश शर्मा निशीथ (2001), जल संसाधन उपयोग समस्या एवं समाधान, प्रतियोगिता दर्पण :2161 -2166.
2. के० पी० त्रिपाठी और पंकज कुमार (2010), मनरेगा-कृषि, पर्यावरण एवं लघु कृषकों के लिए वरदान, वसुंधरा 19 (3):1-2.
3. परती भूमि (2003), धधकती घरती, परती भूमि विकास समित, (3):1-42.
4. आर० एस० सेगर और वी० पी० राव (2010), घरती पर पानी बचाने की चुनौती, कुरुक्षेत्र 58(7):3-8.
5. नीरज कुमार गौतम (2010), जल प्रबंधन: वर्तमान सदी की आवश्यकता, कुरुक्षेत्र 58(7):13-18.
6. कन्हैया त्रिपाठी (2010), पानी के लिए संघर्ष कितना कारगर, कुरुक्षेत्र 58(7):26-29.

7. राजेन्द्र सिंह बिष्ट (2006), स्वच्छ पर्यावरण में स्वच्छ जीवन का विकास, कुरुक्षेत्र 58(7):26-29.
8. यशपाल सिंह नरवरिया (2011), मनरेगा और पंचायत की भूमिका, एकता टुडे 1(10)9-10.

सारणी-1- मनरेगा के तहत खनियाधाना जनपद में सम्पन्न विभिन्न जल संरक्षण श्रोत का विवरण

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	तालाब	चेकडैम/स्टोक डम	सिंचाई कूप	पेयजल कूप (कपिल धारा)	स्ट्रैच (जल संरक्षण के लिए गड्डे)
1	बुधौन राजापुर	03	03	—	—	—
2	वीरपुर	04	03	03	02	700
3	काली पहाडी चदेरी	01	03	—	02	—
4	पडरा	—	02	—	03	1000
5	श्राही	—	03	05	01	—
6	नगरेला	—	05	—	—	—
7	जुन्गीपुर	—	02	02	02	750
8	देवखो	02	—	06	01	—
9	मसूरी	01	03	—	—	—
10	विशनपुरा	—	—	01	09	500
11	कमालपुर	02	—	02	07	2000

सारणी 2. मनरेगा के तहत कोलारस जनपद में सम्पन्न विभिन्न जल संरक्षण श्रोत का विवरण

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	तालाब	चेकडैम/स्टोक डम	सिंचाई कूप	पेयजल कूप (कपिल धारा)	स्ट्रैच (जल संरक्षण के लिए गड्डे)	खेत तालाब
1	भाटी	01	—	—	—	—	07
2	वेहटा	01	—	—	01	—	03
3	कायझ	—	02	—	01	—	02
4	राजगढ़	01	02	20	01	1000	02
5	भडोता	02	02	—	01	—	05